न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 629 दर्ज तिथिः—29.08.2025

1. सवाराम पुत्र वजाराम
2. मथरों पत्नी वजाराम
   जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. जीणी पत्नी पेलादराम फौत के कायम मुकाम
   1 / 1 अगराराम पुत्र पेलादराम
   1 / 2 सांवलाराम पुत्र पेलादराम
   1 / 3 गणेशाराम पुत्र पेलादराम
2. उदा पुत्र चिमना
   जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

................अप्रार्थीगण

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगण—श्री जगदीश विश्नोई

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 247 / 1 / 2.7519 है0 मौजा सोनगिरी की ढाणी पटवार हल्का भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 247 / 3 / 2.5495 है0, 247 / 5 / 1.8130 है0 मौजा सोनगिरी की ढाणी पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested

भेडाणा तहसील गुड़ामालानी से होते हुए हुए प्रार्थीगण की आराजी तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु परिशिष्ट 'क' अनुसार अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा फसल के समय उक्त रास्ते पर काश्त करने के कारण मार्ग का अभाव हो जाता है तथा लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। इस कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 असालतन वकालतन उपस्थित नयायालय हुए। अप्रार्थी सं. 01 विधिवत तामील पश्चात् अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1698 दिनांक 26.11.2025 के अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	भू—अभिलेख निरीक्षक, भेडाणा मय पटवारी मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 20.11.2025 को भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी द्वारा मौका निरीक्षण के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी द्वारा मौका निरीक्षण के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट का नजरी नक्शा निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested

जिरह

4. प्रकरण में दौराने—ए—जिरह अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान—ए—जिरह निवेदन किया प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 247 ⁄ 1 मौजा सोनगिरी की ढाणी में पहुंच हेतु खसरा संख्या 247 ⁄ 3 व 247 ⁄ 5 मौजा सोनगिरी की ढाणी में से रास्ता चाहा गया गया है। प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या 247 ⁄ 1 के सेढा सेढ़ प्रार्थी का अन्य खसरा संख्या 245 अवस्थित है जो सीधा सड़क से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी अपने ही अन्य खसरा से जुड़ी होने और वह खसरा सीधा सड़क से जुड़ा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251 ए के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो को पूर्ण नहीं करने के कारण काबिले खारिज है।

कानूनी—प्रावधान

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाॅ प्रतीत होता है—

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested

prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, ***on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.***

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

   1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
   2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
   3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः—

   1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested

चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक ⁄ कोर्ट ⁄ आर.ए. ⁄ 2025 ⁄ 1698 दिनांक 26.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 247 ⁄ 1 के सेढ़ा सेढ़ प्रार्थी की अन्य आराजी खसरा संख्या 245 मौजा सोनगिरी की ढाणी जो सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ होने के कारण प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रास्ता विद्यमान है। इस प्रकार प्रकरण प्रथम शर्त की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 247 ⁄ 1 मौजा सोनगिरी की ढाणी एवं आराजी खसरा संख्या 245 मौजा सोनगिरी की आपस में एक–दुसरे के सेढ़े पर अवस्थित है एवं भौगोलिक रूप से एक–दुसरे से जुड़े हुए है। खसरा संख्या 245 सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है वही से ही प्रार्थीगण का आवागमन होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण को वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते की पहुंच होने तथा रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251क के तहत केवल सुविधा के लिए रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251क के अंतर्निहित शर्तों की पूर्ण पालना नहीं होने से खारिज किया जाना प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक ⁄ कोर्ट ⁄ आर. ए. ⁄ 2025 ⁄ 1698 दिनांक 26.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 247 ⁄ 1 मौजा सोनगिरी की ढाणी के सेढ़ा सेढ़ प्रार्थीगण की अन्य आराजी खसरा संख्या 245 के सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा होने से प्रार्थीगण को वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते की पहुंच होने तथा रास्ते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested

की आत्यन्तिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के आधार पर उक्त आवेदन खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:31 IST
Reason: SelfAttested